न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 44/2020 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थी:–

1.गजाराम पुत्र आदूराम, जाति जाट
निवासी गुलोणियों की ढ़ाणी, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थी :– श्री फताराम गोदारा

निर्णय

दिनांक 04.08.2021

प्रार्थी गजाराम पुत्र आदूराम, जाति जाट, निवासी गुलोणियों की ढाणी (बूठ राठौड़ान), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा गुलोणियों की ढाणी (बूठ राठौड़ान), तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 644/159 रकबा 67.09 बीघा स्थित है। जिस पर उसके रहवास हेतु ढाणिया, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थी के खसरा सं. 157 रक[illegible] बीघा भूमि मौजा गुलोणियों की ढाणी (बूठ राठौड़ान) से रास्ता दिया जा[illegible] चौहटन से सरूपे का तला जाने वाली डामर सड़क सरूपे का तला सड़क मा[illegible] से मते का तला जाने [illegible] सड़क से जोड़ती है। प्रार्थी की जोत पर आने जाने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। चाहे गये रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी अनुसार रास्ते के आदेश किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	157	17.02	बा.सो.	20 फीट	01.03	गुलोणियों की ढाणी	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि *प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 157 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित नए मार्ग में तहसीलदार चौहटन की रिपोर्ट अनुसार चार पेड़ रोहिड़ा, दो पेड़ खेजड़ी एवं एक पेड़ जाल का आया हुआ है। जिसका नियमानुसार निस्तारण करने के पश्चात् उक्त रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में [illegible] जावे।*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/ [illegible]) [illegible] 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में चार पेड़ रोहिड़ा, दो पेड़ खेजड़ी एवं एक पेड़ जाल के है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि एवं तहसीलदार द्वारा बताये गये उक्त पेड़ों की क्षतिपूर्ति नियमानुसार देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जा डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।
7. *तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में बताये गये पेड़ों का नियमानुसार निस्तारण करने के पश्चात् ही उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।*

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 04.08.2021 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम ॥)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

आंशिक नकल नक्शा किश्तवार

पैमाना

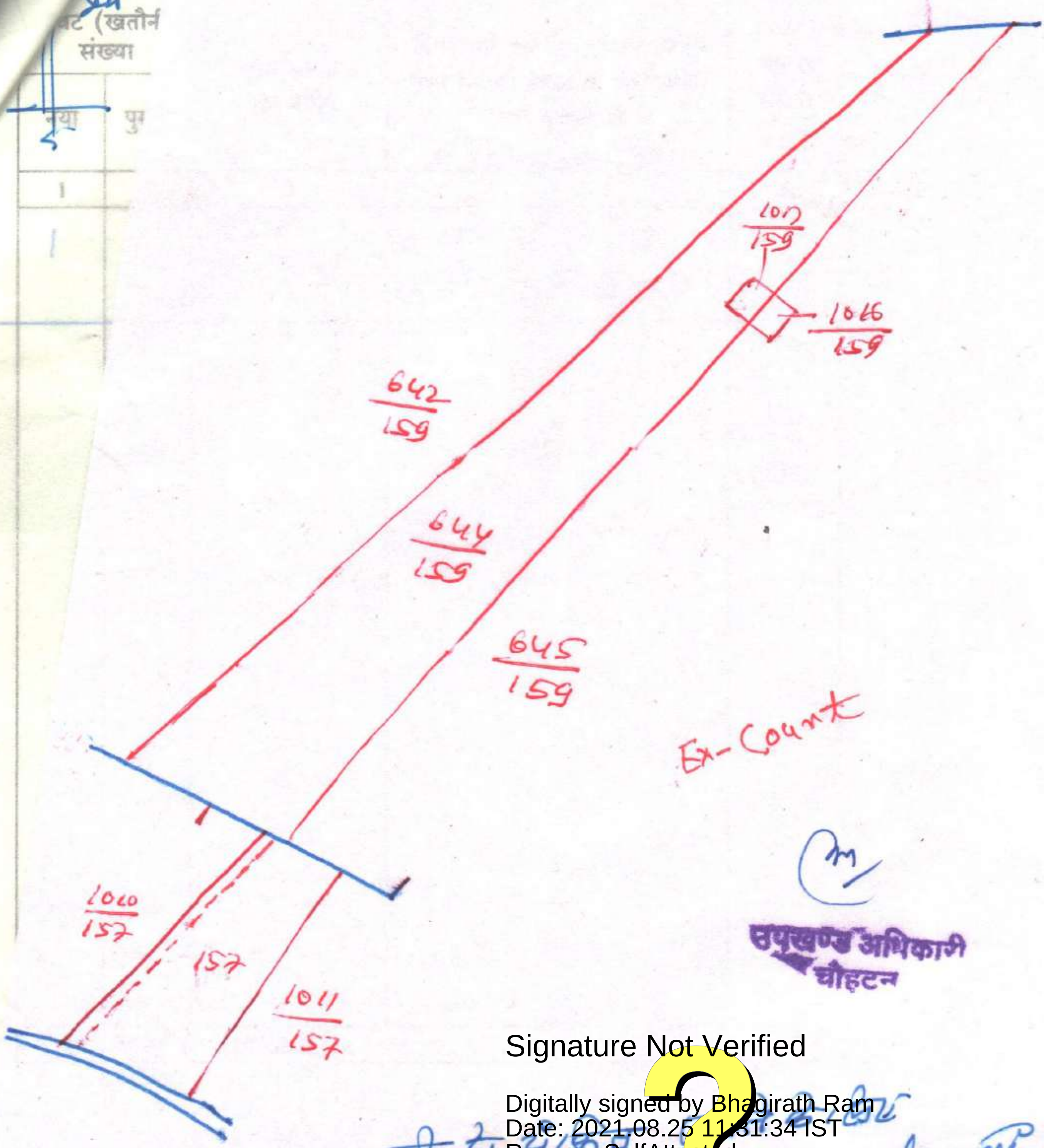

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.08.25 11:31:34 IST
Reason: SelfAttested

35 क्रमांक दिनांक
पर दर्ज कर इसकी नकल जारी की गई।
प्रमाणित प्रतिलिपि

तहसीलदार (भू.अ.)
चौहटन

पटवारी (भू.अ.) 21.3.2021
तहसील-चौहटन